न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 163/2019 GCMS NO. 2019/00324 **उनवानी श्रीमती सुरेश बाई बनाम सहीराम आदि** **अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955**	
25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादिया को प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 10 की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादिया ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 10 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादिया को प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 10 की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादिया का हस्तगत वाद पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.) (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:38:55 IST
Reason: SelfAttested